

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं :

भाग-क में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल हैं। इस भाग में दो अध्याय शामिल हैं। अध्याय-I में 'पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन' और अध्याय-II में 'मेवात क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन' पर विषयक लेखापरीक्षा, 'महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना' तथा 'पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का निर्मोचन एवं उपयोजन' पर दो वृहद अनुच्छेद और अनुपालन लेखापरीक्षा के छः अनुच्छेद शामिल हैं।

भाग-ख में शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। इस भाग में दो अध्याय शामिल हैं। अध्याय-III में 'शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन' शामिल है और अध्याय-IV में चार अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

भाग-क पंचायती राज संस्थाएँ

1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों का विहंगावलोकन

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 पंचायती राज के नए स्वरूप की पुष्टि करता है जो कि स्थानीय स्वायत्त निकायों की जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर और अधिक शक्तियों के विकेन्द्रण के साथ त्रिस्तरीय संरचना हेतु प्रावधान करता है। तेहत्तरवें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, अप्रैल 1994 से लागू हुआ।

प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा अधिदेशित पांच स्थायी समितियों का गठन किया जाना था। तथापि, पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार टिप्पणी करने के बावजूद, उनके गठन की वास्तविक स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। आगे, जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने और चर्चा करने के लिए जिला आयोजन समिति की बैठकें भी अधिकांश जिलों द्वारा निर्धारित संख्या में और तरीके से आयोजित नहीं की गई थीं जैसा कि परिकल्पित था।

मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियां जैसे राजस्व के कुछ स्रोत, पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किये गए थे। तथापि पंचायती राज संस्थाएं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान पर निर्भर

रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं निजी राजस्व सृजन के महत्व को पहचानने में विफल रही हैं। यहाँ तक कि पिछले कई वर्षों से विभाग के पास 'निजी राजस्व' के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे।

लेखांकन प्रारूप वर्ष 2009 से तैयार किए जा चुके हैं। तथापि पंचायती राज संस्थाओं ने अभी भी अपने लेखों को पारंपरिक प्रारूपों में संधारित किया था। कई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजनावार पृथक रोकड़ बही, आय एवं व्यय के त्रैमासिक लेखे तथा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखे भी संधारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं का अभिलेख संधारण स्वराब और उस सीमा तक अपूर्ण बना रहा। प्रियासॉफ्ट, एक ऑनलाइन केंद्रीकृत लेखा पैकेज जो मॉडल लेखा प्रणाली के तहत लेखों के संधारण की सुविधा प्रदान करता है, का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि कई पंचायती राज संस्थाएँ इसमें प्रविष्टियां नहीं कर रही थी।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक लेखापरीक्षक है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण और लेखापरीक्षा में भारी बकाया चिंता का विषय है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के मापदंड 4 और 5 के तहत इस कार्यालय द्वारा द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं का सामाजिक अंकेक्षण आवरण पिछले कुछ वर्षों में घट रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं ने 291 अनुच्छेदों वाले 23 निरीक्षण प्रतिवेदनों (2017-2020 के दौरान जारी) की प्रथम अनुपालना भी उपलब्ध नहीं कराई है। वर्ष 2017-20 की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान के लिए निर्धारित संख्या में लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

(अनुच्छेद 1.1 से 1.11)

2. पंचायती राज संस्थाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मेवात क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन

राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले का क्षेत्र, जहाँ मेवात समुदाय की घनी आबादी है, मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। मेवात क्षेत्र विकास योजना मेवात क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रारम्भ (फरवरी 1987) की गई थी और मेवात क्षेत्र की 14 पंचायत समितियों में कार्यान्वित की जा रही है। मेवात क्षेत्र विकास योजना और अन्य विकासात्मक योजनाओं के तहत निर्मित संपत्तियों के रखरखाव के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए लघु उद्योग और आवश्यक संसाधन विकसित किए जाने थे।

संपादित लेखापरीक्षा के परिणामों से प्रकट हुआ कि योजना के क्रियान्वयन की योजना प्रभावी नहीं थी क्योंकि परिप्रेक्ष्य योजना, जल निकासी योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/समेकित परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे। वार्षिक योजनाओं के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन

में विलम्ब हुआ था। 2015-20 के दौरान योजनान्तर्गत उपलब्ध निधियों का मात्र 19.68 से 40.28 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। आगे, निधियाँ अन्य योजनाओं में विपथित की गई थी और क्रियान्वयन एजेंसियों को दिए गए अग्रिम समायोजित नहीं किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि योजना के तहत गैर-अनुमत कार्य स्वीकृत किए गए थे और बिजली कनेक्शन के बिना कार्यों पर निष्फल व्यय किया गया था। साथ ही, इस योजना के तहत सृजित परिसम्पत्तियां कुल उपलब्ध निधि का 15 प्रतिशत तक परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए समर्पित निधियों की उपलब्धता के बावजूद बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाई गई, जो अनुपयोगी थी। जैसा कि दिशानिर्देशों में परिकल्पित था योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण/प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन भी नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण कमजोर था।

इस योजना में लघु उद्योगों की स्थापना/विकास और स्थानीय नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था और उपलब्ध निधि का दो तिहाई से अधिक मुख्य रूप से सीसी रोड/अन्य छोटी निर्माण गतिविधियों के निर्माण के लिए व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 2.1)

महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना

महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना (एमजीजेवीवाई) जो पहले 'गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना' के नाम से जानी जाती थी, राजस्थान के समस्त 33 जिलों में सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन एवं सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजनान्तर्गत वृक्षारोपण के साथ में श्मशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी टीनशेडों एवं चबूतरे निर्माण के लिए 90 प्रतिशत निधियां एवं अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के लिए 70 प्रतिशत निधियां राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जायेगी एवं अवशेष समान राशि समुदाय जिसमें व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सामाजिक संगठन, स्थानीय जनता आदि सम्मिलित हैं, के द्वारा योगदान किया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अन्य संपत्तियों के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत निधि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग योजना की विभिन्न गतिविधियों के समग्र पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

एमजीजेवीवाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्ति के सृजन के माध्यम से गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्थानीय जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने 2014-20 के दौरान योजना के अंतर्गत ₹ 376.91 करोड़ का योगदान दिया, जबकि समुदाय ने लगभग ₹ 60 करोड़ का योगदान दिया। यद्यपि, 85 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया

था, वर्षवार व्यय, उपलब्ध निधियों का 24.14 प्रतिशत से 43.57 प्रतिशत के मध्य था। सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान केवल ₹ 1.91 करोड़ की नाममात्र निधियों का योगदान किया। मार्च 2020 तक ₹ 19.26 करोड़ व्यय करने के उपरांत ₹ 28.73 करोड़ राशि के 330 कार्य अभी भी अपूर्ण थे।

सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए कार्यों की स्वीकृतियों के विभाजन, अपेक्षित योगदान जमा किये बिना कार्यों की स्वीकृति तथा सार्वजनिक योगदान जमा करने के उपरांत भी कार्यों का निष्पादन नहीं करने के प्रकरण ध्यान में आए। कपटपूर्ण भुगतान, व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही संपत्तियां, क्षतिग्रस्त संपत्तियों के संधारण का अभाव और गैर-अनुमत्य कार्यों के निष्पादन आदि के प्रकरण भी पाए गए। अनिष्पादित और/या आंशिक निष्पादित मदों के लिए भुगतान किया गया था। योजनान्तर्गत अनुश्रवण कमजोर था तथा सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात् सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक संपत्ति का सृजन, केवल एक सीमित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.2)

पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी व उपयोग करना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-1 प्रावधित करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक पांच साल में (i) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने (ii) उन सिद्धान्तों की अनुशंसा करना जो राज्य एवं पंचायतों के मध्य करें, शुल्कों पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का वितरण और ऐसे आगमों का पंचायतों के मध्य सभी स्तरों पर उनके अपने अपने अंशों का आवंटन को शासित करने एवं (iii) संचित निधि से पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने वाले सहायतार्थ अनुदानों के लिए अनुशंसा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना अपेक्षित है।

तदनुसार 2015-20 की अवधि के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन (मई 2015) किया गया। आयोग ने 2015-16 के लिए (सितम्बर 2015 में) एवं 2016-17 के लिए (सितम्बर 2016 में) दो अंतरिम प्रतिवेदन एवं नवम्बर 2018 में सम्पूर्ण पंचाट अवधि के लिए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, जिनको क्रमशः 22 सितम्बर 2015, 2 सितम्बर 2016 एवं 23 जुलाई 2019 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचम राविआ) की सिफारिशों के तहत निर्माचित किये जाने वाले अनुदानों के उपयोग हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये।

पंचम राज्य वित्त आयोग की मुख्य अनुशंसाओं में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सम्मिलित है :

- राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों के 7.182 प्रतिशत की दर से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.1 प्रतिशत और 24.9 प्रतिशत के अनुपात में निधियों का हस्तान्तरण।

- वर्ष 2015-16 में, हस्तांतरित निधियां 'मूलभूत एवं विकास कार्यों' तथा 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के मध्य क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की जानी थी, शेष 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान के रूप में निर्माचित की जानी थी।
- 2016-20 के दौरान, निर्धारित निधियों को तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया था अर्थात् 55 प्रतिशत राशि 'मूलभूत और विकास कार्यों के लिए', 40 प्रतिशत 'राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाओं' के लिए और शेष 5 प्रतिशत लेखे, अभिलेख, परिसम्पत्ति पंजिका को संधारित करने और निजी राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयासों के प्रोत्साहन हेतु।
- वर्ष 2015-16 के लिए, हस्तांतरित निधियों को पंचायती राज संस्थाओं के मध्य स्तरवार यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, 5:15:80 के अनुपात में आवंटित किया जाना था। 2016-20 की अवधि के लिए इस अनुपात को संशोधित कर 5:20:75 कर दिया गया।

2015-20 के दौरान, राज्य सरकार ने पंचम राविआ की अनुशंसा के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 10,345.71 करोड़ का अनुदान हस्तांतरित किया, जिसमें से ₹ 10,226.76 करोड़ (98.85 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने पंचम राविआ द्वारा अनुशंसित अनुदान का 11.94 प्रतिशत जारी नहीं किया। पंचायती राज विभाग ने 2015-16 एवं 2019-20 के दौरान ₹ 193.30 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान भी जारी नहीं किया। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा घटक वार स्वीकृति एवं व्यय विवरण संधारित नहीं किया गया था। पंचम राविआ अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ कि सीसी सड़कों का निर्माण नालियों के बिना किया गया था, अनुमान तैयार किये बिना कार्यों का निष्पादन किया गया था और निष्पादित कार्य निम्नतर मानकों के थे। पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों एवं निर्मित परिसम्पत्तियों की पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.3)

दो पंचायत समितियों की संपत्तियों को पट्टे पर देते समय राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 3.30 करोड़ की नियम संगत आय से वंचित होना।

(अनुच्छेद 2.4)

पंचायत समितियों द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 3.11 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

पात्र ग्राम पंचायतों को उनका रॉयल्टी अंश हस्तांतरित करने में जिला परिषदों का ढुलमुल रवैया एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों का उल्लंघन।

(अनुच्छेद 2.6)

पंचायत समितियों ने अव्ययित निधियों के हस्तांतरण के संबंध में निर्देशों की अवहेलना की और ₹ 2.92 करोड़ की राशि को अनियमित रूप से अपने पास रोके रखा, जिससे लाभार्थियों को मिडे-डे मील योजना के तहत निर्दिष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.7)

पंचायत समिति हिण्डोली में उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन कर सामग्री की स्वरीद के लिए ₹ 1.06 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान।

(अनुच्छेद 2.8)

कार्यकारी आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त शेषों/ विकास की गतिविधियों हेतु अनुदानों को अनियमित रूप से रोक कर रखने से ₹ 6.99 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

(अनुच्छेद 2.9)

भाग-ख शहरी स्थानीय निकाय

3. शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सृजित स्वयं के संसाधन उनके व्यय की देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं थे और वे मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार के अनुदानों और ऋणों पर निर्भर थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है। निर्धारित प्रारूपों में लेखों को समय पर अंतिम रूप देने और उनके प्रमाणीकरण के अभाव में हितधारक समय पर और सही लेखांकन जानकारी से वंचित रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान, 196 शहरी स्थानीय निकायों के खातों को प्रमाणित करने की आवश्यकता के विरुद्ध, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा केवल 159 (81 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के खातों को प्रमाणित किया गया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर ध्यान देने और उनके निपटान में भी भारी विलम्ब हुआ था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समय पर उत्तर देने में विफलता, अनियमितताओं/कमियों के जारी रहने के जोखिम से भरी हुई है।

(अनुच्छेद 3.1 से 3.11)

4. शहरी स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उदयपुर नगर परिषद को अप्रैल 2013 में नगर निगम में परिवर्तित किया गया था। उदयपुर नगर निगम में 70 नगरपालिका वार्ड हैं। उदयपुर 64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जनसंख्या 4.51 लाख है (2011 की जनगणना के अनुसार)।

राज्य स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान (एलएसजीडी) एक प्रशासनिक विभाग है, जो शहरी स्थानीय निकायों के मामलों में स्थानीय निकाय निदेशालय जो कि नोडल ऑफिस है, के साथ कार्य करता है। स्थानीय निकाय सभी शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों की निगरानी व समन्वय करता है। मेयर निर्वाचित प्रमुख है और आयुक्त निदेशालय नगर निगम उदयपुर का कार्यपालक अधिकारी है।

उदयपुर नगर निगम के कार्यों की अवधि 2013-14 से 2017-18 तक की नमूना जाँच अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 तक की गई व इसे 2018-20 अवधि तक के लिए 21 दिसम्बर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक अद्यतन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान प्रयोजना, सेवाओं का वितरण, अनुबंध प्रबंधन, संसाधनों को जुटाना, वित्तीय प्रबंधन व आंतरिक नियंत्रण सम्बंधी क्षेत्र शामिल किये गए। 2013-20 की अवधि में कुल प्राप्ति राशि ₹ 1112.52 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 1146.91 करोड़ नगर निगम द्वारा व्यय की गई।

यह पाया गया कि नगर निगम उदयपुर का नियोजन तंत्र कमजोर था क्योंकि न तो विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और न ही उदयपुर शहर के व्यवस्थित विकास के लिए वैधानिक योजना बनाई गई थी। नगर निगम उदयपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अपर्याप्तता थी। ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और निपटान का प्रबंध उचित और प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 45.27 प्रतिशत सीवेज का अनुपचारित निपटान किया गया। नगर निगम के पास इमारतों का कोई डेटाबेस नहीं था, जिनके लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी और अग्नि की रोकथाम, अग्नि सुरक्षा और अग्नि के स्वतरे की जांच के लिए कमजोर प्रणाली थी। नगर निगम उदयपुर ने आरजीडीपीएस अधिनियम के तहत गारंटी वाली सेवाएं नागरिकों को समय पर प्रदान नहीं की। शिकायतों का निपटारा भी अत्यधिक विलंब से था।

नगर निगम का स्वयं का राजस्व कम था और इसमें 13वें/14वें केंद्रीय वित्त आयोग और चौथे/पांचवे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार हर साल 10 प्रतिशत तक वृद्धि नहीं हुई थी। शहरी विकास कर और पट्टा राशि के बकाया का संचयन, भूमि उपयोग बदलने के लिए पट्टा राशि की अवसूली, सीवेज शुल्क, मोबाइल टावरों से पंजीकरण और अनुमति शुल्क, होटल, बेकरी, मिठाई की दुकानों से अनुज्ञापत्र शुल्क आदि की जमा में कमी और बेहतरी शुल्क की कम वसूली के दृष्टांत देखे गए। इसके अलावा, वित्तीय प्रबंधन अकुशल था क्योंकि नगर निगम ने अपने वार्षिक खातों को समयबद्ध तरीके से और उपार्जित आधार पर तैयार नहीं किया था। नगर निगम उदयपुर ने अपने मूल कार्यों यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन, अग्निशमन, राजस्व संग्रहण आदि को तर्कसंगत और उचित तरीके से निष्पादित नहीं किया था।

(अनुच्छेद 4.1)

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उप-मिशन के तहत संजय नगर भट्टा बस्ती के पुनर्वास के लिए राजीव आवास योजना में आवासीय इकाइयों के निर्माण पर ₹ 37.01 करोड़ का निष्फल व्यय।

(अनुच्छेद 4.2)

भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के सम्बंध में आवेदकों से ₹ 7.46 करोड़ की बेहतरी लेवी की कम वसूली।

(अनुच्छेद 4.3)

नगर निगम, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा ₹ 1.31 करोड़ की राशि के श्रम उपकर की वसूली करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 4.4)

निविदा प्रक्रिया में विलम्ब तथा विभाग के कम संग्रहण के कारण विलम्ब अवधि के दौरान ₹ 41.04 लाख के राजस्व की परिणामी हानि।

(अनुच्छेद 4.5)